

2016-17

नियुक्ति के समय एक मकान

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम दीपक कुमार जोशी 2. वर्तमान धारित पद परीक्षक पर्यवेक्षक 3. कार्यालय का नाम कार्या अधी.रांत्री (पूरी एवं संयंत्र)

4. वर्तमान वेतन 26970+4400 GP 5. मकिय निधि क्रमांक 1382301 6. कर्मचारी संख्या म.प्र.पा.इ.क.लि.उज्जैन 84364783

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यारा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. उज्जैन	2. गृह C-5/10, कृष्णनगर उज्जैन	-	20,00,000/-	स्वयं एवं पत्नी के नाम	पैट्टक संपत्ति	1 जनवरी 2017 से रु. 48,000/- प्रति वर्ष	-
2. इन्दौर	गृह, आनन्द बाजार के पास पलासिया चौराहा, इन्दौर	-	20,00,000/-	पत्नी के नाम श्रीमान सराज जोशी	बैंक आफ बड़ोदा से क्रेण लेकर	रु. 1,20,000/- प्रति वर्ष	-
3. तुलसीपुरिया जिला उज्जैन	-	खेती की जमीन	10,00,000/-	-	पैट्टक संपत्ति	प्रति वर्ष	-

हस्ताक्षर _____
 नाम दीपक कुमार जोशी
 पद परीक्षक पर्यवेक्षक

* जहां लागू न हो काट दीजिए
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।

S. R. (T&C)
 UJN.
 Inwa
 Date
 To

इस कार्यालय चपलक्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
 संलग्न - उपरोक्तानुसार